इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

('इरकॉन डीएचएचएल')

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45500DL2017GOI317401

देवांगेरे - हवेरी राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, कर्नाटक

(हाइब्राइड वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत)

दूसरी वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2018-19

कंपनी परियोजना

"दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाना"

निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नगनगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री कृतिका गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकार
सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसस एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स सौरभ जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

कंपनी के ईपीसी संविदाकार
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

कंपनी के बैंकर
इंडियान ओवरसीस बैंज, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली

सम्पर्क अधिकारी

सुश्री पूजा रस्तोगी
कंपनी सचिव
ईमेल :ircondhhl@gmail.com
दूरभाष: 011-26545786

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली- 110017

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]

श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल

निदेशक

श्री आनन्द कुमार सिंह

निदेशक

श्री राजेन्द्र सिंह यादव

निदेशक

सुश्री अनुपम बेन

निदेशक

इरकॉन डीएचएचएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री नगनगौडा पाटिल,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
[18.07.2018 से]

सुश्री कृतिका गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)
[20.11.2018 से]

सुश्री पूजा रस्तोगी
कंपनी सचिव
[01.04.2019 से]

देवांगेरे- हवेरी राजमार्ग परियोजना के फोटोग्राफ

इक्विटी और ऋण पूंजी

विवरण	धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से स्वीकृत/अनुमोदित निवेश	आहिरत राशि (31.03.2019 को)
1. इक्विटी शेयर पूंजी	217.05 करोड़ रूपए	104.05 करोड़ रूपए
2. रक्षित ऋण (कर्ज)	503.00 करोड़ रूपए	130.00 करोड़ रूपए

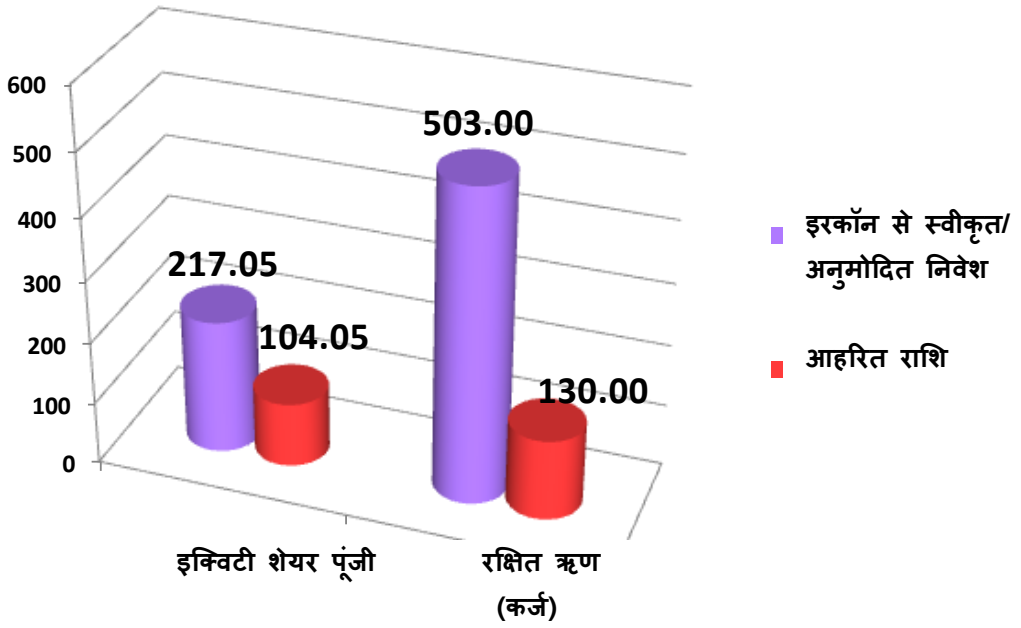

अध्यक्ष का संबोधन

दिनांक 26.08.2019 को आयोजित दूसरी (2) वार्षिक साधारण बैठक में

प्रिय शेयरधाराकों

मुझे कंपनी की दूसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके समक्ष दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित आपकी कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इस रिपोर्ट को पढ लिया है।

कंपनी का संक्षिप्त विवरण

इरकॉन डीएचएचएल को दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने हेतु विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 912 दिनों की परियोजना निर्माण अवधि शामिल नहीं है।

इस परियोजना की कुल परियोजना निष्पादन लागत 1177.00 करोड़ रूपए जमा मूल्यसंवर्धन है, जिसमें 40% परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा की जाएगी और 60% लागत को एसपीवी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। तदनुसार, एसपीवी 720.05 करोड़ रुपये की परियोजना निर्माण लागत का वित्तपोषण करेगा, जिसमें इक्विटी और ऋण निवेश के माध्यम क्रमश: 217.05 करोड़ रूपए और 503.00 करोड़ रूपए निवेश किए जाएगा। आज की तिथि को इरकॉन द्वारा आरंभिक निवेश और तत्पश्चात राइट्स इश्यू के माध्यम से 104.05 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इरकॉन द्वारा 202.22 करोड़ रुपये की राशि का ऋण आहरित किया गया है।

वर्तमान में, परियोजना निर्माण चरण पर है और परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 50.30% है और परियोजना की वित्तीय प्रगति 50.34% है।

परियोजना निर्माण

देवांगेरे - हवेरी राजमार्ग परियोजना का निर्माण कार्य पूर्णत् प्रगति पर हैं। 30% भौतिक प्रगति और 35% वित्तीय प्रगति का दूसरा परियोजना लक्ष्य अनुसूचित तिथि यथा दिनांक 28.02.2019 के भीतर पूरा किया गया है।

वित्तीय विशिष्टताएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 312.71 करोड़ रूपए का व्यय किया है, और उसे 2.14 करोड़ रूपए का करपूर्व लाभ प्राप्त हुआ है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, **2013** और इसके अंतर्गत संबद्ध नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटनों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी में मूल्यवान ग्राहकों यथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो कि हमारी मूल्यवान संपत्ति हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ह/-
(दीपक सबलोक)
अध्यक्ष
डिन: 03056457

दिनांक: 26.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन डीएचएचएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके परिशिष्ट	
	➢ निदेशक की रिपोर्ट	11
	➢ प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	25
	➢ वार्षिक रिटर्न का सार (फॉर्म एमजीटी-9)	30
	➢ निगमित शासन रिपोर्ट	35
	➢ संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं. एओसी-2)	38
	➢ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	54
2.	**सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट**	**62**
3.	कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरण	
	➢ तुलन पत्र	75
	➢ लाभ हानि विवरण	76
	➢ रोकड़ प्रवाह विवरण	77
	➢ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	78
	➢ लेखों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना संबंधी नोट	79
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (सीएजी टिप्पणियां) और प्रबंधन के उत्तर	137

निदेशक की रिपोर्ट
वर्ष 2018-19

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका निगमन दिनांक 11 मई, 2017 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाना के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए किया गया था। इस परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 24 जनवरी 2018 यथा नियुक्ति तिथि से आरंभ 912 दिन (30 माह) की निर्माण अवधि शामिल नहीं है और यह कार्य सभी उपलब्ध क्षेत्रों में प्रगति पर है। कार्य के क्षेत्र में 78,923 किमी के मुख्य कैरेज-वे (राजमार्ग की कुल लंबाई), 154.654 किमी की सेवा सड़क लंबाई, जिसमें प्रमुख पुल, पुलिया वीयूपी, पीयूपी, फ्लाइओवर तथा अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, रियायत समझौते के संदर्भ में, कुल परियोजना बोली लागत प्रथम वर्ष हेतु रु.1177.00 करोड़ जमा लागत संवर्धन और ओएंडएम की लागत रु.10 करोड़ है। निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा परियोजना बोली लागत के 40% की प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60% निर्माण लागत की व्यवस्था एसपीवी द्वारा की जाएगी।

इरकॉनडीएचएचएल ने निर्धारित तिथि यथा दिनांक 28.02.2019 तक 30% भौतिक प्रगति और 35% वित्तीय प्रगति के दूसरे परियोजना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। सभी स्थानों पर काम पूर्ण रूप से प्रगति पर है।

वर्तमान में, परियोजना निर्माण चरण में है और परियोजना की भौतिक प्रगति 42% तक पहुँच गई है और परियोजना की वित्तीय प्रगति 41.23% है।

720.05 करोड़ की परियोजना निर्माण लागत, क्रमशः 217.05 करोड़ रूपए और 503 करोड़ रूपए के इक्विटी और ऋण निवेश द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें से इरकॉन ने अप्रैल 2018 में 20.05 करोड़ रूपए और अगस्त 2018 में 34.00 करोड़ रूपए और अक्टूबर 2018 में 50.00 करोड़ रूपए की इक्विटी प्रदान की है।

<u>वित्तीय विशेषताएं : कंपनी का वित्तीय निष्पादन:</u>

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं जो पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) से अंतरित किए गए हैं। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2019 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि रूपए लाख में)

क्र .सं	**विवरण**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	10,405.00	5.00
2.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित)	277.38	63.07
3.	धारक कंपनी से ऋण (उधार)	13000.00	-

4.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0	
5.	**कुल संपत्ति और देयताएं**		
6.	प्रचालन से राजस्व	31,270.32	245.67
7.	अन्य आय	326.43	-
8.	**कुल आय (6) + (7)**	31,596.75	245.67
9.	मूल्यह्रास, वित्तीय लागत, आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/हानि	731.20	2.77
10.	**कुल व्यय (9) + (10)**	31,270.82	245.92
11.	मूल्यह्रास	-	-
12.	**वित्तीय लागत, आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/(हानि)**	731.20	2.77
13.	घटा: वित्तीय लागतें	405.27	3.02
14.	**आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/(हानि)**	325.93	(0.25)
15.	लाभ/(हानि): आपवादिक मदें	-	-
16.	कर व्यय पूर्व लाभ/हानि	325.93	(0.25)
17.	घटा: कर व्यय (चालू और आस्थिगित)	111.62	(63.32)
18.	वर्ष हेतु लाभ/हानि (1)	214.31	63.07
19.	अन्य वृहत आय (2)	-	-
20.	कुल (1+2)	214.31	63.07
21.	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लाभ/हानि का शेष	63.07	-
22.	घटा: डिबेंचर रिडेंप्शन आरक्षित निधि	-	-
23.	घटा : आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
24.	घटा: : इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	-	-
25.	घटा: : प्रफेरेंशियन शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	-	-
26.	घटा: लाभांश संवितरण कर	-	-
27.	अग्रेणीत शेष	277.38	63.07

31 मार्च 2019 को कंपनी की शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 217.05 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर और कंपनी की प्रदत्त, अंशदायी और शेयर पूंजी 104.05 करोड़ है जिसमें प्रति 10 रूपए के 10,40,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है जो दिनांक 15 जनवरी 2018 को असाधारण आम बैठक में 5 करोड़ रूपए से बढकर 217.05 करोड़ रूपए हो गई है।

कंपनी ने इस रिपोर्ट की तिथि तक राइट्स इश्यू के तहत कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.4.05 करोड़ रुपये कर दिया है।

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति शेयर 10 रूपए)	आवंटिती का नाम
5 अप्रैल 2018	2,00,00,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)
16 अगस्त 2018	3,40,00,000	
17 अक्तूबर 2018	5,00,00,000	

परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह **(23592.4) (लाख रूपए में)**।

प्रबंधन एवं विार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):

एमडीएआर इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-क** पर संलग्न है

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न का सार, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड के रूप में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों की अध्यक्षता में है, जिनकी नियुक्ति आपकी कंपनी की धारक कंपनी द्वारा की गई है और ये कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार पहले निदेशक हैं: -

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	11.05.2017	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, नामिति निदेशक	11.05.2017	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, नामिति निदेशक	11.05.2017	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नामिति निदेशक	11.05.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, नामिति निदेशक	11.05.2017	07797026

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख कार्मिक	नियुक्ति तिथि	पेन न.
1.	श्री नगनगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (18.07.2018 को केएमपी नामित)	18.07.2018	BBZPP6530K
2.	सुश्री कृतिका गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी (20.11.2018 को केएमपी नामित))	20.11.2018	AWYPG7535Q
3.	सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव (01.04.2019 को केएमपी नामित))	01.04.2019	BKHPR8220D

सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव ने दिनांक 15 जनवरी 2019 को त्यागपत्र दे दिया है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार, नियम, 2014 और डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों, 2010 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 10 बार बैठकें आयोजित की हैं।

बोर्ड की बैठकें दिनांक 05.04.2018, 18.07.2018, 16.08.2018, 19.09.2018, 17.10.2018, 20.11.2018, 04.01.2019, 17.01.2019, 30.01.2019, और 20.02.2019 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित रहे:-

निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित
श्री दीपक सबलोक	8/10
श्री अशोक कुमार गोयल	8/10
श्री आनन्द कुमार सिंह	10/10
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	5/10
सुश्री अनुपम बेन	10/10

बोर्ड समितियां:

कंपनी ने दिनांक 18 जुलाई 2018 को बोर्ड की निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन:

इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। हालाँकि, कंपनी ने श्री नगनगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सुश्री कृतिका गुप्ता, इरकोन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, को क्रमश: दिनांक 18 जुलाई 2018 तथा 20 नवंबर 2018 को इरकॉन डीएचएचएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में प्रतिनियुक्त किया है।

श्री पायल शर्मा ने दिनांक 15 जनवरी 2019 से कंपनी सेचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया है और दिनाक 01 अप्रैल, 2019 को सुश्री पूजा रस्तोगी को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुबंध- ग** के रूप में संलग्न है।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतदद्वारा पुष्टि की जाती है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

छ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स एसएसआरए एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएजी के दिनांक 14.08.2018 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/आईडीएचएचएल(I)585 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।

आतंरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने मैसर्स वी.एम. अरोड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में को नियुक्त किया है।

निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

अंतर-निगमित ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण (धारा 185 और 186):

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में था और यह आर्म लैंथ आधार पर थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था, जिसे संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एओसी- 2 में इसी को प्रस्तुत किया गया है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-घ** पर संलग्न है।

आरक्षित निधि के लिए लाभांश और विनियोजन:

परियोजना की स्थिति के मद्देनजर जो निर्माण चरण में है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" के तहत प्रतिधारित आमदनियों के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2019 तक प्रतिधारित आमदनियों में 277.38 लाख रूपए की शेष राशि है।

<u>वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं</u>:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

राइट इश्यु :

	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रत्येक 10 रूपए के)	**आवंटिती का नाम**
5 अप्रैल 2018	2,00,00,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)
16 अगस्त 2018	3,40,00,000	
17 अक्तूबर 2018	5,00,00,000	

<u>ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:</u>

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. <u>ऊर्जा का संरक्षण:</u> -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. <u>प्रौद्योगिकी अवशोषण</u>: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त लगी है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. <u>विदेशी मुद्रा आय और आउटगो</u>: -

वर्ष 2018-19 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

<u>जोखिम प्रबंधन:</u>

कंपनी के पास अपनी गतिविधियों के अनुरूप सुदृढ व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है, जो व्यापार के जोखिमों की पहचान करने में सक्षम है। बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

<u>कर्मचारियों के विवरण:</u>

कंपनी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-134(3) के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रूपए या उससे अधिक, या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

<u>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

<u>व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों का विवरण:

आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण-स्वामित्व वाल सहायक कंपनी है। समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी नहीं थी।

सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों के महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा काई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों की जांच की गई थी और इसके अभिकल्प और प्रचालन में कोई महत्पपूर्ण तथ्यात्मक कमी नहीं देखी गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

सतर्कता तंत्र:

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित हैं जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन:

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में निगमित किया गया है इसलिए, जून 2017 के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है ।

कंपनी के बैंकर:

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम ब्लॉक बी, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, जो कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और सावधि जमा (एफडी) के रखरखाव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के मामले में कंपनी का एकमात्र बैंकिंग साझेदार है।

आभारोक्ति:

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग हेतु, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक एसोसिएट्स, कंपनी के लेखापरीक्षक और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंपनी को दी गई मूल्यवान सहायता और सहयोग हेतु सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : **नई दिल्ली**

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

अनबंध-क

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

औद्योगिक संरचना और विकास:

एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई अधिकतर राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं या हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं हैं।

हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं निर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपीपी मॉडल में सड़क क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसाकि नाम से ही पता चलता है, यह ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) मॉडल और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल, दोनों का मिश्रण (हाइब्रिड) है।

बीओटी मॉडल के अंतर्गत, निजी पक्ष सामान्यत 20 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) की निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, रखरखाव और टोल एकत्रण की जिम्मेदारी लेते हैं। इस 20 वर्षों के दौरान, सभी टोल एकत्रण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है और उसका अनुरक्षण उसके ही द्वारा किया जाएगा। 20 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, सड़क का स्वामित्व एनएचएआई को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में निजी पक्ष निर्माण अवधि के दौरान सम्पूर्ण धनराशि का निवेश करते हैं और टोल एकत्रण के माध्यम से इस राशि (ब्याज लागत सहित) की वसूली की उम्मीद करते हैं। निजी पक्ष को सदैव आरंभिक रोकड़ निर्गम प्रवाह के संबंध में जोखिम बना रहा है।

इस जोखिम और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, बीओटी मॉडल वैकल्पिक रूप यथा बीओटी वार्षिकी मॉडल है। इस वार्षिकी मॉडल में, आम तौर पर एनएचएआई द्वारा टोल राजस्व जोखिम स्वयं लिया जाता है, जबकि ठेकेदार को सड़क निर्माण और अनुरक्षण के लिए पूर्व-निर्धारित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है।

एचएएम विकासकर्ता और एनएचएआई के बीच जोखिमों को समाप्त करने के लिए मध्यवर्ती दृष्टिकोण है। केवल 60% निवेश करके, विकासकर्ता या रियायतग्राही कंपनी परियोजना

निर्माण लागत और संबद्ध वित्तीय देनदारियों को वहन करने में सक्षम हो जाता है। वार्षिकी भुगतान अनुरक्षण अवधि के दौरान विकासकर्ता को स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है।

<u>शक्तियां व कमजोरियां:</u>

शक्तियां:

- एमएएच मॉडल के तहत एनएचएआई की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं;
- विकासकर्ता की वित्तीय तरलता और वित्तीय जोखिम सरकार द्वारा साझा किया जाता है;
- टोल राजस्व जोखिम प्राधिकरण यथा एनएचएआई द्वारा वहन किया जाता है और इस प्रकार विकासकर्ता राजमार्ग के निर्माण और अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाता है।

कमजोरियों:

- प्राकृतिक में परिवर्तन की संभावना रहती है।
- राजमार्गों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में समय पर परिणाम उत्पादन करने में दक्षता के संबंध समस्याएं आती हैं।

<u>अवसर और जोखिम:</u>

अवसर:

सड़कों और राजमार्गों पर लगातार बढ़ते वाहन संचलन प्रचालनों और संबंधित लाभप्रदता में स्थिरता और वृद्धि लाएंगे।

जोखिम:

चूंकि एनएचएआई 60:40 के अनुपात में एचएएम परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के लिए समय पर धन प्राप्त करने के लिए निधियों की कमी हो सकती है।

<u>प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वर्तमान प्रचालनिक और गैर-प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

तालिका- I: **वर्तमान वित्तीय स्थिति** **(**रूपए हजार में**)**

विवरण		**01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु**
I.	**राजस्व**:	
	प्रचालनों से राजस्व	31,270.32
	अन्य आय	326.43
	कुल राजस्व	31596.75
II.	**व्यय**:	
	प्रचालनिक लागत	31270.32
	अन्य व्यय	0.50
	कुल व्यय	31270.82
III.	**करपूर्व लाभ**	325.93
	कराधान हेतु प्रावधान	
	चालू/पूर्ववर्ती वर्ष कर/आस्थगित कर	111.62
IV.	**करपश्चात लाभ/(हानि)**	214.31
V.	**कुल वृहत आय (लाभ(हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित)**	214.31

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में तथा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियां:

कंपनी ने कार्यपालक कार्यों, वित्तीय मामलों और अनिवार्य अनुपालनों व प्रकटनों के लिए धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को और कंपनी के कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से
ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध– ख

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	**सीआईएन**	U45500DL2017GOI317401
2	**पंजीकरण तिथि**	11 मई 2017
3	**कंपनी का नाम**	इरकॉन देवांगेरे हवेरी लिमिटेड
4	**कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी**	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत**
1.	कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना रा.रा-4) पर राजमार्ग परियोजना निमर्ण की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 08 नामितियों के पास हैं ।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01अप्रैल 2018 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	104050000	104050000	100%	208000%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-			-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-			-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-			-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	104050000	104050000	100%	208000%
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**शून्य**	**104050000**	**104050000**	**100%**	**208000%**

निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 08 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में 1 अप्रैल 2018 को शेयरधारिता			वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2019 को शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड$	50000	100%	-	104050000	100%	शून्य	208000%
	कुल	**50000**	**100%**	**-**	**104050000**	**100%**	**शून्य**	**208000%**

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 10,40,49,100 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 08 शेयरधारक **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।**

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र सं	विवरण		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में		50000	100%	50000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):		शून्य			
	आवंटन तिथि	कारण				
	05.04.2018	राइट इश्यु	20000000	100%	20050000	100%
	16.08.2018	राइट इश्यु	34000000	100%	54050000	100%
	17.10.2018	राइट इश्यु	50000000	100%	104050000	100%
3.	वर्ष के अंत में		104050000	100%	104050000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं	निदेशक(निदेशकों) का नाम #	प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2018 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2019 के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
		वर्ष के आरंभ में	शून्य			
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
		वर्ष के अंत में				

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर धारित हैं और श्री आनंद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और सुश्री अनुपम बेन, द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 शेयर धारित हैं।*

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	शून्य			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	130,00,00,000	-	-	130,00,00,000
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन	शून्य			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	130,00,00,000	-	-	130,00,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	**130,00,00,000**			

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	**लागू नहीं**	
	1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं…		
5.	अन्य, कृपया बताएं		

	कुल (क) $	
	अधिनियम के अनुसार सीमा	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
		लागू नहीं	
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ इरकॉन डीएचएचएल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पांच गैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड में हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण #**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	8,79,032	2,27,651	7,25,273	18,31,956
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-

4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं…	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-
	कुल	**8,79,032**	**2,27,651**	**7,25,273**	**18,31,956**

पारिश्रमिक: ऊपर दी गई तालिका में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का पारिश्रमिक सुश्री पायल शर्मा के कंपनी सचिव के पद से त्यागपत्र देने की तिथि तक है, अर्थात् 1 अप्रैल 2018 से 15 जनवरी 2019 तक।

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

*कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : **नई दिल्ली**

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) एक नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो एक संगठन की धन सृजन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों की प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी **"कॉर्पोरेट प्रशासन के उपायों"** के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाल को अपनाया जा सके और संव्यवहारों में पारदर्शिता को प्रभावी बनाया जा सके। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे प्रबंधन और हमारे हितधारकों के साथ प्रभावी संबंधों को सुनिश्चित करता है और इस परिवर्तनशील समय के साथ विकसित होने में हमारी मदद करता है।

1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने सत्यनिष्ठा, निर्णय निर्धारण, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-54 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन डीएचएचएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालीन/ स्वतंत्र	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक	अंशकालीन अध्यक्ष	1105.2017	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल	अंशकालीन निदेशक	1105.2017	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह	अंशकालीन निदेशक	1105.2017	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	अंशकालीन निदेशक	1105.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन	अंशकालीन निदेशक	1105.2017	07797026

कोई भी निदेशक कंपनी की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक या बैठक शुल्क प्राप्त नहीं करता है।

निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी) बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां (नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दस बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

2.3 बोर्ड की बैठकों और अन्यकंपनियों और बोर्ड समितियों में उनकेनिदेशक पद या सदस्यता सहित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में

क्र.सं	बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठकों की तिथि	पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	9वीं	5 अगस्त 2018	-	4	1
2.	10वीं	18 जुलाई 2018	104	5	-
3.	11वीं	16 अगस्त 2018	29	3	2
4.	12 वीं	19 सितंबर 2018	34	3	2
5.	13वीं	17 अक्तूबर 2018	28	5	-
6.	14वीं	20 नवंबर 2018	34	5	-
7.	15वीं	4 जनवरी 2019	45	4	1
8.	16वीं	17 जनवरी 2019	13	4	1
9.	17वीं	30 जनवरी 2019	13	5	-
10.	18वीं	20 फरवरी 2019	21	4	1

2.4 बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तिथि को)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	9 (इरकॉन आईएसटीपीएल इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन एसजीटीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, और इरकॉन वीकेईएल)	1	5
अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	5 (इरकॉन ईएसटीपीएल, इरकॉन आईएसएल इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और	4	5

		इरकॉन वीकेईएल)		
आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन वीकेईएल)	3	4
राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन वीकेईएल)	-	5
अनुपम बेन [डिन 07797026]	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल और इरकॉन वीकेईएल]	2	1

निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए (वर्ष 2018-19 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)

निदेशक	**पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र**	**कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	**कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)**	
			अध्यक्ष के रूप में	**सदस्य के रूप में**
शून्य				

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

   क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

   ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

   घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

   ड.) इरकॉनएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

   च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ इस्ट रेलवे लिमिटेड

   छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ इस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

   ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

   झ) इरकॉनवीकेईएलल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ट) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ड) आईआरएसडीसीएल -भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

ण) बीआरपीएल - बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

3. वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

बोर्ड की बैठकें दिनांक 05.04.2018, 18.07.2018, 16.08.2018, 19.09.2018, 17.10.2018, 20.11.2018, 04.01.2019, 17.01.2019, 30.01.2019, और 20.02.2019 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1) (बी) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2018- 19 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रहे
श्री दीपक सबलोक	8/10
श्री अशोक कुमार गोयल	8/10
श्री आनन्द कुमार सिंह	10/10
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	5/10
सुश्री अनुपम बेन	10/10

सुश्री पायल शर्मा, कंपनी सचिव, ने दिनांक 15 जनवरी, 2019 को त्यागपत्र दिया और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित 6 बैठकों में भाग लिया था।

4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

कंपनी (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 के नियम 6 और 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 178 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया और दिनांक 18 जुलाई 2018 को इनकी बैठकों आयोजित किया गया तथा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके साथ पठित इसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ-साथ लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 को नियमों के अनुसार संदर्भ शर्तों को निर्धारित किया गया है।

4.1 लेखापरीक्षा समिति

4.1.1 लेखापरीक्षा समिति - संदर्भ शर्तें:

1) कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक सहित किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान हेतु सिफारिश;
2) कंपनी और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा;
3) आंतरिक लेखापरीक्षकों और उनके आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के निष्पादन की समीक्षा करना
4) संबंधित पक्षों के लेन-देन का अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;
5) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
6) कंपनी के उपक्रमों और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
7) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8) सी एंड ए जी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की समीक्षा करना
9) पब्लिक इश्यु के माध्यम से उठाए गए धन के उपयोग और संबंधित मामलों की निगरानी करना;

4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, जिसमें कंपनी के चार अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

समिति की वर्तमान संरचना है:

श्री आनंद कुमार सिंह - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री अशोक कुमार गोयल - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री अनुपम बेन - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

4.2.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति - संदर्भ शर्तें:

1) वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश;
2) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और कौशल की पहचान और मूल्यांकन, इसी प्रकार उनके पारिश्रमिक के लिए एक नीति तैयार करना;
3) कंपनी के लक्ष्यों और समीयसीमा को पूरा करने के लिए निष्पादन मापदंड, लघु और दीर्घकालिक निष्पादन उद्देश्यों की स्थापना; तथा
4) संवितरण हेतु वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल और नीति निर्धारित करना।

4.2.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति - संरचना:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-178 के अनुसार और डीपीई सीजी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2018 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है और जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

i. श्री अनुपम बेन - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

ii. श्री आनंद कुमार सिंह - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

iii. श्री राजेन्द्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

5. <u>साधारण बैठकें:</u>

पिछले दो वर्षों के दौरान शेयरधाराकों की बैठकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शेयरधारक बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	संव्यवहार हेतु	
					साधारण कार्य	विशेष कार्य
1	पहली असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	01 जून, 2017	1500 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	-	• कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन करना। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां
2	दूसरी असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	15 जनवरी 2018	1230 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	-	• शेयर पूंजी में वृद्धि करना और परिणामस्वरूप कंपनी की समझौता ज्ञापन की में परिवर्तन करना। • कंपनी के समझौता ज्ञापन में परिवर्तन।
3	पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 सितंबर, 2018	1330 बजे	कंपनी का पंजीकृत	• कंपनी के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त	

				कार्यालय, दिल्ली	वित्तीय वर्ष हेतु इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ को प्राप्त करने, विचार करना और स्वीकार करने हेतु। • वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु।	

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में **अनुबंध-ग1** के रूप में प्रस्तुत)।

8**. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, जिनका कार्यालय रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर-7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 में है, से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-सी 2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से
ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ग-।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल	**सुश्री कृतिका गुप्ता**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 29.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ग2

लोक उपक्रम विभाग के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट शासन दिशानिर्देशा (डीपीई) का सभी दृष्टिकोणों से अनुपालन किया जा रहा है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है केवल निम्न को छोड़कर यथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन *(i), हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा और पारिश्रमिक समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है यह भी विदित है कि निदेशक की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में) द्वारा की जाती है। (ii) कंपनी ने डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापित, कंपनी ने डीपीई को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।*

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2019

अनुबंध-घ

फार्म सं. एओरसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु)

****

क्र.सं	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1	**ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु।	अनुमानित अवधि: 30 महीने (ईपीसी संविदाकार द्वारा निर्माण हेतु अवधि)	इस संविदा को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 1026.96 करोड़ रूपए मूल्य हेतु निष्पादित किया गय है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसकेलिए इरकॉन को भुगतान किए गए कार्य व्यय की राशि 30636.58 लाख रूपए है।	20 फरवरी 2018 तथा 9 नवंबर 2017	शून्य (आज की तिथि को)

2	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसर के प्रयोग हेतु किराया)	तीन वर्ष (2018 से 2021)	इरकॉन डीएचएचएल ने 19,305/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से दिनांक 15.05.2018 से 3 वर्ष की अधि के लिए 9 अगस्त 2018 को पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।	-	शून्य (आज की तिथि को)

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ड.

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

घ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-I और सचिवीय मानक-II के अनुपालन की भी जांच की है, जो समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी पर लागू थे।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन केवल गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को आयोजित करने, कार्यवृत्त और कार्यसूची के परिपत्रण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चि करने के लिए एक प्रणाली मौजूद

है। बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था,

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और हमारे विश्वास के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों की निगरानी और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

उल्लेखनीय है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा यथावर्णित और प्रस्तुत अनुसार, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानून, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के अनुसरण में वित्तीय वर्ष के दौरान 10,40,00,000 शेयर (विवरण नीचे तालिक-1 पर प्रस्तुत है) आवंटित किये है और इनका कंपनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

तालिका सं. 1

राइट इश्यु	**अशदायी और प्रदत्त शेयरों की संख्या**	**आवंटित शेयरों की संख्या**	**आवंटन की तिथि**
I	2,00,00,000 इक्विटी शेयर	2,00,00,000	05.04.2018
II	3,40,00,000 इक्विटी शेयर	3,40,00,000	16.08.2018
III	5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,00,00,000	17.10.2018

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सौरभ जैन
प्रोप्राइटर
स.सं: ए45034
सीपी सं.: 16489

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 29.07.2019

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सौरभ जैन
प्रोप्राइटर
स.सं: ए45034
सीपी सं.: 16489

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 29.07.2019

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य

इंड एएस स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोट

हमने इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-139 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के महालेखापरीक्षक के निरीक्षण के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इस रिपोर्ट में संशोधन किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के खंड-143 के अंतर्गत दिनांक 02 मई 2019 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2019 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में कोई प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी समस्या नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना

चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

1. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख"** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है**?** यदि हां तो**,** वित्तीय परिणामों**,** यदि कोई हो**,** सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है**,** कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेली प्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि**,** यदि कोई हो**,** में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी नहीं, कंपनी में ऋण/उधार/ ब्याज आदि**,** यदि कोई हो**,** में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर किसी प्रतिबंध का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है**?** विपथन के मामलों की सूची बताएं।	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते एसएसआरए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 014266एन

सुरेश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 093711

हस्ताक्ष का स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20.06.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-क।

i. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है। इसलिए पैरा 3(i) की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ii. इन्वेंटरी के संबंध में

कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं है। इसलिए पैरा 3(ii) की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. कंपनी द्वारा किए गए ऋणो और निवेशों के संबंध में

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (iv) लागू नहीं है।

v. जमाराशियों के संबंध में

हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

vi. लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के संबंध में

हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपन अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्डों के अनुरक्षण का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। इसलिए, कंपनी पर पैरा 3 (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii. सांविधिक देयों के संबंध में

कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्य संवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2019 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2019 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

सांविधि का नाम	विवादित देय रशियों की प्रकृति	बकाया राशि/करोड़ रूपए में	अवधि जिससे राशि संबंधिह है	मंच जहां विवाद लंबित है
शून्य				

viii. ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में

कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण की हमारी जांच कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कंपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए आदेश का खंड 3 (viii) लागू नहीं है।

ix. आईपीओ, भावी पब्लिक ऑफर और सावधि ऋणों के संबंध में

कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान धारक कंपनी से 13000 लाख रूपए का सावधि ऋण प्राप्त किया गया और उस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया जिसके लिए उसे लिया गया था।

x. जालसाजी की रिपोर्टिंग के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में

दिनांक 05 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. निधि कंपनी की रिपोर्टिंग के संबंध में

निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का पैरा 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. संबंधित पक्ष संव्यवहारों के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुरूप हैं, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. निजी प्लेसमेंट की रिपोर्टिंग शेयरों/डिबेंचरों के प्रेफरेंशियल आवंटन के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. गैर-रोकड़ संव्यवहारों की रिपोर्टिंग के संबंध में

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में

कंपन एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 014266एन

सुरेश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093711
हस्ताक्ष का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को इरकॉन डीएचएचएल टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के

साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2019 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 014266एम

सुरेश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093711
हस्ताक्ष का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2019

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2019 को तुलनपत्र

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपत्यिां	3				
	- अन्य	3.1	13,425.91		245.67	
	(ख) आस्थगित कर परिसपतियां (निवल)	4	27.39		63.32	
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तिया			13,453.30		308.99
2	**चालू परिसंपतित्यां**					
	(क) वित्तीय परिसिंपतियां	5				
	(i) व्यापार प्राप्य	5.1	10,099.60		-	
	(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	5.2	134.24		0.23	
	(iii) अन्य	5.3	1.13		-	
	(ख) चालू कर परिसंपतियां (निवल)	6	336.73		-	
	(ग) अन्य चालू परिसंपतियां	7	8,853.34		0.43	
	कुल चालू परिसंपत्यिां			19,425.04		0.66
	कुल परिसंपत्यिां			**32,878.34**		**309.65**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8	10,405.00		5.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	9	277.38		63.07	
	कुल इक्विटी			10,682.38		68.07
2	**देयता देयताएं**					
(i)	गैर- चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	10				
	(i) ऋण	10.1	13,000.00		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			13,000.00		-
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	11				
	(i) व्यापार देय	11.1				
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय		0.10		-	
	- अन्य		5.93		240.01	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	141.85		1.28	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	13	9,048.08		0.29	
	कुल चालू देयताएं			9,195.96		241.58
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**32,878.34**		**309.65**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 31		-		-

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 014266एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सुरेश गोयल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 093114	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(नगनगैडा पाटिल)**	**(कृतिका गुप्ता)**	**(पूजा रस्तोगी)**
दिनांक: 02.05.2019	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
01 अप्रैल से 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	14	31,270.32	245.67
II.	अन्य आय	15	326.43	-
III.	**कुल आय (I + II)**		31,596.75	245.67
IV.	**व्यय:**			
	परियोजना व्यय	16	30,846.31	238.39
	कर्मचारी लाभ व्यय	17	18.74	4.26
	वित्तीय लागते	18	405.27	3.02
	अन्य व्यय	16	0.50	0.25
	कुल व्यय (IV)		31,270.82	245.92
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)		325.93	-0.25
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		325.93	-0.25
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	4		
	- वर्ष हेतु		75.69	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		35.93	-63.32
	कुल कर व्यय		111.62	-63.32
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		**214.31**	**63.07**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**214.31**	**63.07**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल		0.34	126.15
	(2) विलयित		0.34	126.15
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 31		

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार से

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 014266एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सुरेश गोयल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 093114	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(नगनगैडा पाटिल)**	**(कृतिका गुप्ता)**	**(पूजा रस्तोगी)**
दिनांक: 02.05.2019	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2019 को इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए लाख में)**

विवरण	"रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष"	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान बायबैक	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
31 मार्च 2018 को शेष	-	5.00	-	5.00
31 मार्च 2019 को शेष	5.00	10,400.00	-	**10,405.00**

ख. अन्य इक्विटी **(रूपए लाख में)**

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि	विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2017 को शेष	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-			-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुनःबहाली	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु लाभ		63.07			63.07
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		-			-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर				-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	**63.07**	-	-	**63.07**
घटाः प्रदत्त लाभांश		-			-
घटाः लाभांश संवितरण कर		-			-
31 मार्च 2018 को शेष	-	**63.07**	-	-	**63.07**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-			-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुनःबहाली	-	**63.07**	-	-	**63.07**
वर्ष हेतु लाभ		214.31			214.31
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		-			-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर				-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	**214.31**	-	-	**214.31**
घटाः प्रदत्त लाभांश		-			-
घटाः लाभांश संवितरण कर		-			-
31 मार्च 2019 को शेष	-	**277.38**	-	-	**277.38**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार से

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 014266एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सुरेश गोयल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 093114	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
	(नगनगैडा पाटिल)	**(कृतिका गुप्ता)**	**(पूजा रस्तोगी)**
स्थान : नई दिल्ली	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**
दिनांक: 02.05.2019			

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को रोकड़ प्रवाह विवरण को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		325.93	-0.25
समायोजन			
ब्याज आय		(326.43)	-
कार्यशली पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**-0.50**	**-0.25**
समायोजन			
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि		(10,099.60)	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपतियों में कमी / (वृद्धि		(13,180.24)	(245.67)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		(1.13)	-
अन्य चालू परिसंपत्यिों में कमी / (वृद्धि		(8,852.90)	(0.43)
व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि		(233.98)	240.01
अन्य चालू वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी / (वृद्धि		140.58	1.28
अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि		8,635.37	0.29
कुल कार्यशील पूंजी परिवर्तन	**(2)**	**(23,591.90)**	**(4.52)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(1+2)**	**(23,592.40)**	**(4.77)**
प्रदात्त आयकर		-	-
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**(23,592.40)**	**(4.77)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
प्राप्त ब्याज		326.41	-
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**	**326.41**	**-**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
इरकॉन से ऋण		13,000.00	-
इक्विटी शेयर		10,400.00	5.00
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ग)**	**23,400.00**	**5.00**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**	**-**	**-**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम	**(क+ख+ग+घ)**	**134.01**	**0.23**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	**(E)**	**0.23**	**-**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)*	**(ड.)**	**134.24**	**0.23**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(च - ड.)**	**134.01**	**0.23**

नोटः. 1. 01 अप्रैल 2017 से, कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को स्वीधकार किया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह और गैर रोकड़ परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने से इस संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।

3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित:पुन:निधारित किया गया है, जहां आवश्यक हआ।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार से

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर

कृते एसएसआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 014266एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सुरेश गोयल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 093114	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
	(नगनगैडा पाटिल)	**(कृतिका गुप्ता)**	**(पूजा रस्तोगी)**
स्थान : नई दिल्ली	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**
दिनांक: 02.05.2019			

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 1 तथा 2 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. निगमित सूचन

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन डीएचएचएल का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन के निर्माण का काम सौंपा गया था। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 11 मई, 2017 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त करार की शर्तों के अनुसार आईडीएचएचएल का दायित्व है कि वह देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेन की परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करे और उन सभी परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना की सभी परिसंपत्तियों को उचित कार्यशील अवस्था में बनाए रखे।यह परियोजना वार्षिकी आधार पर है और वाणिज्यिक प्रचालज तिथि से 15 वर्षों की अवधि तक आईडीएचएचएल के प्रचालनाधीन रहेगी। इसके लिए भुगतान वार्षिकी आधार पर

किया जाएगा जो इस करार के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर देय होगा। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

2. इंड एएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) तैयारी का आधार

(क) अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2019 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया है।

(ख) **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

i. निर्धारित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।

ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओंको उचित मूल्य पर मापा गया है।

iii. पैरा (**x**)(घ) के अनुसार प्रावधान, जहां राशि समय मूल्य हैं है तथ्यात्म है।

(ग) **अनुमानों और निर्णय का प्रयोग**

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

<u>प्रमुख लेखांकन अनुमान</u>

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति - किस स्तर तक आस्थगित कर को स्वीकृति प्रदान की जा सकता है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रावधान - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को, कंपनी बकाया आकस्मिक देनदारियों के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भविष्य के परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व - कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति का यथोचित आकलन करने के पश्चात समय के साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को चिह्नित करती है।

राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र के परिवर्तनों, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) पर किए जाने वाले आकलन और निर्णयों की आवश्यकता होती है और अन्य भुगतानों की सीमा तक निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करते हैं और वे संभावित हैं और उचित रूप से मापा जा सकने में सक्षम हैं। दावों के लिए अनुमान लगाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार के एक महत्वपूर्ण अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभारित किसी संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के अनुमान और यह उसके जीवन के अंत में अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य निर्धारित करने के पश्चात प्राप्त होता है। इन

अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचालन से संबंधित है, जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

(घ) सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

(ii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि,:

क. यह संभावित हो कि उस मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और

ख. उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा।

(4) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(5) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(6) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(7) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ्लैट : आवासीय/गैर आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3–6
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10
कारवांग, कैंप और अस्थायी शेड	3–5
वाहन	8–10

ध. पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

ड. मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

च. वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

(iv) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

क. अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

ख. अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्वःसृजित/अधिग्रहित
पट्टा अधिकार	निश्चित (36 माह)	अधिग्रहित

ख. परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

ग. प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(v) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और श्ंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vi) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन तथा बैंक ओवरड्रफ्ट के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिभाषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(vii) **प्रावधान**

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

क) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ख) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रूपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :–

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

घ) प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

ड. अलाभप्रद संविदा

संविदा जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने वाली अपरिहार्य लागतें इससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ से अधिक हो जाती हैं, को अलाभप्रद संविदा कहते हैं और ऐसी संविदाओं के अंतर्गत प्रस्तुत दायित्वों को प्रावधान के रूप में स्वीकार और मापा जाता है।

(viii) राजस्व मान्यता

(क) सेवा रियायत करार

कंपनी इंड एएसः115 : ग्राहाकों के साथ संविदा से राजस्व के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है तथा सेवाओं का स्तरोन्नयन करती है!

कंपनी द्वारा प्राप्य या प्राप्त की जाने वाली सहमति वित्तीय परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है कि उसे निर्माण सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") के निदेश पर नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है, अनुदान देने वाले के पास

यदि कोई हो, तो भुगतान से बचने के लिए विवेक आमतौर पर क्योंकि समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है।

कंपनी को अशर्त नकद प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि अनुदानकर्ता कंपनी को निर्दिष्ट या निर्धारित मात्रा का भुगतान करने की गारंटी देता है, भले ही भुगतान कंपनी पर निर्भर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधारभूत अवसंरचना ढांचा निर्दिष्ट गुणवत्ता या दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करता है।

संविदा राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुदानकर्ता को आश्वस्त सेवा स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है। कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन/संवर्धन करती है जो गारंटर के नियंत्रण में हैं। चूंकि परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन किया गया है इसलिए कंपनी समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने पर इस नियंत्रण को अंतरित करती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की स्वीकृति तब करती है यदि यह निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि पर इसकी प्रगति को युक्तिसंगत स्तर पर मापा जा सके। हालांकि, जहां कंपनी यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को आशा है निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करने में आने वाली लागतों की वसूली के लिए कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार करेगी, जबतक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप नहीं सकती।

निष्पादन दायित्व को लागू इनपुट पद्धति पर मापा जाता है। इनपुट पद्धतियां कंपनी के प्रयासों या उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। यदि कंपनी के प्रयासों या इनपुट को पूर्ण निष्पादन अवधि में समान रूप से खर्च किया

जाता है तो कंपनी सीधे आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। निष्पादन दायित्वों से उत्पन्न होने वाली देरी के कारण अपेक्षित इनपुट को तरल क्षति/दंड (एलडी) के लिए समायोजित किया जाता है।

उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां कंपनी आउटपुट पद्धति को लागू करती है जो ईमानदारी से निकाय के निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि को दर्शाती है।

राजस्व को उस संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया गया है। संव्यवहार का मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि अनुदानकर्ता को प्रस्तावित सेवा के स्थानांतरित के स्थान पर हकदार प्राप्त होगा। विलिंब/दंड हेतु क्षतिपूर्ति, मूल्यसंवर्धन और बोनस में हानि के लिए प्रबंधन को द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और इसे केवल इस सीमा तक समायोजित किया जाता है कि यह अत्यधिक संभावना हो कि स्वीकृत राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

संविदा के निर्धारण के पश्चात, संविदा मूल्य में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता है जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस विचार की मात्रा को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी को आश्वस्त सामान या सेवाओं के स्थान पर हकदार होने की आशा है। कंपनी संविदा के अंतरण के दौरान उसी आधार पर लेनदेन के मूल्य में किसी भी परिवर्तन के कारण संविदा के निष्पादन दायित्वों को आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन हुआ है।

कंपनी निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि पर पृथक संविदा के रूप में संविदा अनुबंध संशोधन लेखांकन करती है:

क. संविदा का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है क्योंकि प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के जोड़ अलग-अलग होते हैं अर्थात ग्राहक को माल या सेवाओं का लाभ स्वयं या अन्य संसाधनों के साथ मिल सकता है जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध हैं (माल या सेवा विशिष्ट होने में सक्षम) और ग्राहक को माल या सेवा हस्तांतरित करने के लिए कंपनी का आश्वासन संविदा में अन्य आश्वासनों से अलग पहचाना जा सकता है (माल या सेवा अनुबंध के संदर्भ में अलग है)।

ख. संविदा का मूल्य वसूलीयोग्य राशि के साथ बढ जाता है जो कंपनी के स्टैंडएलोन अतिरिक्त मूल्य वाले सामान या सेवाओं की बिक्री की कीमतों को दर्शाती है और विशेष संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य हेतु किसी भी उपयुक्त समायोजन को दर्शाती है।

यदि संविदा को पृथक संविदा के रूप में लेखांकित नहीं जाता है तो आश्वस्त सामान या सेवाओं के लिए कंपनी का खाता अभी तक अनुबंध संशोधन की तारीख (अर्थात शेष वादा किए गए सामान या सेवाओं) में स्थानांतरित नहीं होता है। विचार की गई राशि का पुनर्निधारण किया जाता है जो कि ग्राहक द्वारा वचन दी गई राशि है जिसे राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है और संविदा आशोधन के भाग के रूप में वचन के माना जाता है।

संविदा परिसंपत्ति और दायित्व को तुलनपत्र मे प्रस्तुत किया जाता है जो दोनों में से कोई भी पक्ष संविदा का निष्पादन करता है।

संविदा परिसंपत्ति वस्तु या सेवाओं के विनिमय हेतु कंपनी के अधिकार को प्रदर्शित करती है जिसे कंपनी ग्राहकों को अंतरित करती है। अनिवार्य रूप से जिसे कंपनी ने

भुगतान की दय तिथि से पूर्व निष्पादित किया हैा इससे संबद्ध शर्तें समयकाल के इतर हैं। यदि भुगतान देय तिथि समयकाल द्वारा सशर्त है तो कंपनी इसे पृथक रूप से प्राप्यों के रूप में दर्शाती है।

संविदागत दायित्व को उस समय बुक किया जाता है जब कंपनी के उपर ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं के अंतरण का दायितव होता है। इस स्थिति में या तो कंपनी को पहले ही ग्राहक से धनराशि प्राप्त हो गई है या यह राशि ग्राहक के पास है जो सशर्त है (ग्राहक कंपनी के निष्पादन से पूर्व भुगतान करेगा या भुगतान हेतु दायी है)।

ख. अन्य राजस्व स्वीकृति

(i) ब्याज आय को प्रभावी ब्यात दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

(ix) **पट्टा**

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टाः–

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है

तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टाः–

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता

वित्तीय पट्टाः

(i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।

(ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रचालन पट्टा :

(i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

(ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

(x) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानि का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसिंपत्तियां जिनका व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों के रूप में समूहित किया जाता है जो निरंतर प्रयोग द्वारा रोकड प्रवाह सत्रजित करते हैं जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों/रोकड सृजित इकाइयों से होने वाले रोकड प्रवाहों से स्वतंत्र होते हैं।

(xi) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

(xiii) कर

चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी

अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

(xiv) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

(xv) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xvi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख. आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

ध. आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xvii) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(xviii) **इक्विटी धारकों को लाभांश**

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(xix) **वित्तीय माध्यम**

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख.. अनुवर्ती मापन

ख1. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः

क. परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

निम्नलिखित परिसंपत्तियों को परिशोधित मूल्य पर मापा जाता हैः

i. व्यापार प्राप्य

ii. प्रतिभूति जमा राशि

iii. प्रतिधारण राशि

iv. ग्राहकों के पास धारित राशि

v. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

vi. ऋण एवं अग्रिम

vii. कर मुक्त बांडों में निवेश

ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख2. वित्तीय देयताएं

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

ग. गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

घ. वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(xx) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है।

यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री/संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस–105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपतियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

(xxi) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं, जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

(रूपए लाख में)

3.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां

विवरण	**फुट नोट**	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2018**
<u>वसूली योग्य</u>			
वित्तीय परिसंपत्तियां - निर्माण संविदाएं	1	13,425.91	245.67
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		**13,425.91**	**245.67**

फुट नोटः-

1. वित्तीय परिसंपत्तियां - यह निर्माण संविदा इस राजमार्ग को संविदा हाइब्राइड वार्षिकी मोड (एचएएम) के अंतर्गत आईडीएचएचएल द्वारा बनाए जाने से संबंधित है। (संदर्भ नोट 20)

4. आस्थगित कर देता **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अन्य	27.39	63.32
31 मार्च को समापन शेष	**27.39**	**63.32**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन/संचलन

विवरण	प्रावधान	पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तिया	अन्य
31 मार्च 2017 को	**-**	**-**	**-**
(प्रभारित)/नामे :			
- लाभ या हानि को	-	-	63.32
- अन्य वृहत आय को	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**-**	**-**	**63.32**
(प्रभारित)/नामे :			
- लाभ या हानि को	-	-	-35.93
- अन्य वृहत आय को	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**27.39**

आस्थगित कर देयताओं को अलग रखागया है क्यों कि वे समान शासी नियम से संबंधित है।

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू आय कर:		
चालू आय कर प्रभार	75.69	-
पिछले वर्ष के चालू आयकर संबंधी प्रावधान	-	-
आस्थगित कर:		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम का सबंध	35.93	(63.32)
लाभ हान हानि विवरण में दर्ज किया गया आयकर व्यय	**111.62**	**-63.32**

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर: **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
निर्धारित लाभ योजनाओं के मापन पर निवल हानि/(लाभ)	-	-
विनिमय लाभ/हानि पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
ओसीआई में प्रभारित आयकर	**-**	**-**

31 मार्च 2018 तथा के लिए भारत में घरेलू कर दर गुणा कर व्यय और लेखांकित लाभ का समायोजन
March 2019: **(Rs. in Lacs)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
निरंतर प्रचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	325.94	-
बंद प्रचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर पूर्व लाभ का लेखांकन	**325.94**	**-**
27.82% भारतीय सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2018: 30.90%)	90.68	-
पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
- अन्य	20.94	-63.32
34.25% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2018: 30.90%)	**111.62**	**-63.32**
लाभ एवं हानि विवरण में आयकर व्यय का लेखांकन	111.62	(63.32)
बंद प्रचालनों से आय कर	-	-
	111.62	**-63.32**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

वित्तीय परिसंपत्त्यिां

5.1 व्यापार प्राप्य **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अरक्षित : वसूली योग		
- व्यापार प्राप्य * (संदर्भ नोट सं.20)	10,099.60	-
संदिग्ध समझे गए		
- व्यापार प्राप्य	-	-
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**10,099.60**	**-**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

वित्तीय परिसंपत्तियां

5.2 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
उपलब्ध रोकड़	-	-
बैंकों में शेष:		
- चालू खातों में	0.74	0.23
- तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाले फ्लैक्सी खाते	133.50	-
कुल	**134.24**	**0.23**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

वित्तीय परिसंपत्तियां

5.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क. वसूली योग्य: रक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.63	-
- बैंकों में जमा	0.03	-
अन्य वसलीयोग्य	0.47	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य	**1.13**	**-**
ख) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	**1.13**	**-**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

6 चालू कर परिसंपत्यिां (निवल) **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	336.73	-
चालू कर परिसंपत्यिां निवल	**336.73**	**-**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

7 अन्य चालू परिसंपत्तियां **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम - संबंधित पक्ष	7,269.00	-
अग्रिम वसूलीयोग्य -		
- वस्तु एंव सेवाकर	1,515.89	0.06
कुल - पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम	**8,784.89**	**0.06**
ख) अन्य		
प्रदत्त व्यय	20.47	0.37
कुल - अन्य	**20.47**	**0.37**
ग) संचित किन्तु अदेय ब्याज		
इरकॉन को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर	47.98	-
कुल संचित किन्तु अदेय ब्याज	**-**	**-**
सकल योग	**8,853.34**	**0.43**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

8. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर	21,705.00	21,705.00
	21,705.00	21,705.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 10,40,50,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	10,405.00	5.00
कुल	10,405.00	5.00

कंपनी में शेयरधारकों के धारण का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - धारक कंपनी	104,050,000	**100**	50,000	**100**
कुल	**104,050,000**	**100**	**50,000**	**100**

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान शेयरों की समग्र संख्या के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों, नकदी से इतर अन्य जारी किए गए शेयर

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:

(क) मतदान :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात, कंपनी की शेष संपति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	50,000	5.00	-	-
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	104,000,000	10,400.00	50,000	5.00
घटा: वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर	-		-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**104,050,000**	**10,405.00**	**50,000**	**5.00**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

9. अन्य इक्विटी **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	63.07	-
जमाः लाभा और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित	214.31	63.07
घटाः निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	-	-
समापन शेष	**277.38**	**63.07**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
समापन शेष	-	-
(ग) पूंजी रिडेंप्शन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमाः इक्विटी शेयरों के बायबैक हेत अंतरण	-	-
समापन शेष	-	-
(घ) अन्य वृहत आय मदें		
आरंभिक शेष	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	-	-
सकल योग	**277.38**	**63.07**

10. वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

10.1 ऋण **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
रक्षित:		
धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण*	13,000.00	-
कुल	**13,000.00**	**-**

ब्याज की दर :

(i) कंपनी ऋण पर प्रभारित ब्याज दर का भुगतान समय-समय पर प्रचलित एसबीआईएमसीएलआर की दर जमा 0.50% पर करेगी।

(ii) ऋण संवितरण की अवधि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 महीने की अवधि के लिए होगी।

(iii) सावधि ऋण 10.5 वर्षों में चुकाया जाएगा जो दिनांक 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा।

(iv) ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम दिन मासिक आधार पर किया जाएगा।

(v) ऋण को उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किश्तों में संवितरित किया जाएगा।

(vi) परियोजना के निर्माण में लिया गया वास्तविक समय इस शर्त के अधीन अधिस्थगन अवधि होगा बशर्ते स्थगन अवधि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vii) ऋण को सुरक्षित किया जाएगा-

(क) पहले बंधक और सभी उधारकर्ता की अचल संपत्तियों पर शुल्क प्रभारितकिया जाएगा, दोनों वर्तमान और भविष्य की बचत सहित और परियोजना की संपत्ति को छोड़कर।

(ख) सभी उधारकर्ताओं की मूर्त चल संपत्ति पर पहला शुल्क।

(ग) उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क।

(डी) रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट अनुसार भुगतान की प्राथमिकता की सीमा तक लागू किया जाएगा।

(() ऋण लेने वाले के सभी सूचना-पत्रों पर शुल्क

(च) सुरक्षित ब्याज के सृजन के माध्यम से शुल्क:

(i) परियोजना दस्तावेजों के तहत और इसके अंतर्गत उधारकर्ता के अधिकार, टाइटल, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

(ii) सभी अनुमोदन और बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

(iii) किसी भी पक्ष द्वारा परियोजना दस्तावेजों को प्रदान किए गए ठेकेदार और परिसमापक और तरल क्षति और निष्पाभदबांड सहित किसी भी पत्र के तहत उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

11. वित्तीय देयताएं (चालू)

11.1 व्यापार प्राप्य **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट सं. 29)	0.10	-
अन्यः		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	1.27	11.42
(ख) संबंधित पक्ष - इरकॉन	4.66	228.59
कुल	**6.03**	**240.01**

वित्तीय देयताएं (चालू)

12. अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	140.66	-
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	1.19	1.28
कुल	**141.85**	**1.28**

13. अन्य चालू देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	8,827.50	-
ख) अन्य		
सांविधिक देय	220.58	0.29
कुल	**9,048.08**	**0.29**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

14. प्रचालनों से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व (संदर्भ नोट 20)	31,270.32	245.67
कुल	**31,270.32**	**245.67**

15. अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय:				
अन्य अग्रिमों पर ब्याज - संबंधित पक्ष		290.24		-
बैंक ब्याज सकल	36.19		-	
घटाः- ग्राहकों को अंतरित ब्याज	-	36.19	-	-
कुल		**326.43**		**-**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

16. परियोजना एंव अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		30,636.58	-	-	-
निरीक्षण भू तकनीकी अन्वेषण और सर्वेक्षण आदि		167.13	45.20	-	-
किराया - गैर आवासीय		2.29	1.84	-	-
दर एवं कर		0.41	0.33	-	-
बीमा		30.15	-	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस		0.92	0.03	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.22	0.27	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		8.61	190.72	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i)	-	-	0.50	0.25
कुल		**30,846.31**	**238.39**	**0.50**	**0.25**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	0.40	0.25
(ख) कर लूखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.07	-
(ग) प्रमाणन शुल्क	0.03	-
कुल	**0.50**	**0.25**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

17. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ **(रूपए लाख में)**

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस	(i)	17.44	-	17.44	4.26	-	4.26
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		0.39	-	0.39	-	-	-
विदेशी सेवा अंशदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		0.91	-	0.91	-	-	-
कर्मचारी कल्याण		-	-	-	-	-	-
कुल		**18.74**	**-**	**18.74**	**4.26**	**-**	**4.26**

18. वित्तीय लागत **(रूपए लाख में)**

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
व्याज व्यय (इरकॉन से ऋण)		240.19	-
अन्य ऋण लागत		-	-
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार		8.78	3.02
अन्य वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय (ग्राहकों से मोबिलाइजेशन अग्रिम)		156.30	-
कुल		**405.27**	**3.02**

नोट सं 19: वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी संव्यवहारों का विवरण

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

(i) दिनांक 11 मई, 2017 से इरकॉन के निदेशक : - श्री दीपक सबलोक, श्री अशोक कुमार गोयल, श्री आनंद कुमार सिंह, श्री आर एस यादव एवं सुश्री अनुपम बेन।

(ii) अन्य: श्री नगनगौड़ा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (18 जुलाई, 2018 से), श्रीमती कृतिका गुप्ता, मुख्य वित्तीय अधिकारी (22 अक्टूबर, 2018 से) और सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव (01 अप्रैल 2019 से)।

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक निम्नानुसार है: **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	31-03.2019 तक की अवधि के दौरान	31-03.2018 तक की अवधि के दौरान
1	वेतन एंव भत्ते	17.44	4.26
2	भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	0.39	-
3	बैठक शुल्क	-	-
4	अन्य लाभ	0.91	-
कुल		18.74	4.26

(ग) वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा **(रूपए लाख में)**

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार रूपए में		बकाया राशि	
		31.03.2019 तक की अवधि के दौरान	31.03.2018 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इरकॉन इंटरनेशनल	इक्विटी में निवेश	10,400.00	5.00	10,405.00	5.00
	ऋण	13,000.00	-	13,000.00	-

लिमिटेड (धारक कंपनी)	अन्य देय	4.66	228.59	4.66	228.59
	अन्य वसूलीयोग्य	7,316.98	-	7,316.98	-
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदा	30,636.58			
	किराया	2.29	1.84		
	ऋण पर ब्याज - व्यय	240.19	-		
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज-आय	290.24	-		
	व्यय की प्रतिपूर्ति	19.12	228.59		

नोट संख्या 20: सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "ग" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -**115**)। परिशिष्ट "ग" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल) ने दिनांक 19.06.2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके संदर्भ में रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) से देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईडीएचएचएल के पास देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है। परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्यों के पूरा होने पर एनएचएाई से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत 13425.91 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2019 तक एससीए के तहत सड़क के निर्माण पर 31270.32 लाख रुपये के राजस्व को इंड एएस के अनुसार "ग्राहकों से राजस्व" के रूप में इंड एएस-115 के तहत स्वीकार किया है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को स्वीकार किया है और इन्हें अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है, जिसे दिनांक 31 मार्च 2019 को लक्ष्य की समाप्ति के आधार पर संविदा की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

इंड एएस-115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-115: ग्राहकों से राजस्व में परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 19	31 मार्च 18
स्वीकृत संविदा राजस्व	31,270.32	245.67
वहन लागत का सकल मूल्य	31,270.32	245.67
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	8,827.50	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनिमय हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)	-	-
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	10,099.60	-

नोट सं. 21: पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास
बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न
और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी परियोजना के वित्तपोषण हेतु अपनी धारक कंपनी से 13000.00 लाख रूपए (पिछले वर्ष शून्य) का सावधि ऋण लिया है।

नोट सं. 22: वित्तीय माध्यम

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

विवरण	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	13,425.91	-	-	245.67
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां:						
चालू व्यापार प्राप्य	-	-	10,099.60	-	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	134.24	-	-	0.23
चालू अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	1.13	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**23,660.88**	**-**	**-**	**245.90**
गैर चालू वित्तीय देयताएं:	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	13,000.00	-	-	-
चालू वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	6.03	-	-	240.01
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	141.85	-	-	1.28
कुल वित्तीय देयताएं			**13,147.88**	**-**	**-**	**241.29**

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में वर्तमान संव्यवहारों में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) कंपनी द्वारा दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।

ii) गैर वर्तमान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्षों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के बराबर माना जाता है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने

ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

घ) तरलता (नकदी) जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2019 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

विवरण	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या अधिक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या अधिक

ऋण	-	-	13,000.00	-	-	-
	-	-	13,000.00	-	-	-

नोट सं.23: अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान , और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं निम्नानुसार हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए प्रमुख समायोजनों के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन पद्धतियों के लिए इनपुट, अवलोकनात्मक बाजारों से लिया जाता है किनतु, जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन से वित्तीय माध्यमों की रिपोर्टिंग में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति हानि का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के लिए अपेक्षित है कि वह आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करे जो संभावित समय और स्तर के आधार पर पहचानी जा सकती है, जो भविष्य की कर योजना रणनीतियों और भावी कर योग्य लाभ पर आधारित हो।

नोट सं.24: आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(I) आकस्मिक देयताएँ:

(क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे: शून्य रूपए (पिछला वर्ष: शून्य रूपए)।

(ख) वित्तीय गारंटी रहित गारंटी: निष्पादन बैंक गारंटी 5885.00 लाख रूपए (पिछला वर्ष शून्य रूपए)।

(II) आकस्मिक संपत्ति: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

नोट सं. 25

I. प्रतिबद्धताएं:

क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों का निवल) 75431.37 लाख रूपए (पिछला वर्ष 117454.33 लाख रूपए)।

ख) अन्य प्रतिबद्धताएं: शून्य रूपए (पिछला वर्ष : शून्य)।

II. खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी केवल भारत में प्रचालन कर रही है, जिसे एकल भौगोलिक खंड माना जाता है, इसलिए खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

III. अन्य निकायों में ब्याज : शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)।

IV. पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण:

क. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई संपत्ति:

कंपनी के पट्टे की व्यवस्था कर्मचारियों, कार्यालयों, गेस्टहाउस और ट्रांजिट शिविरों के आवासीय उपयोग के लिए परिसर के प्रचालन पट्टों से संबंधित है। पट्टे की अधिकांश व्यवस्थाएं रद्द करने योग्य हैं और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। वर्ष के दौरान पट्टे के भुगतान की मात्रा इस प्रकार है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए परिसर के संबंध में पट्टा भुगतान (वसूली का निवल) - शून्य रूपए (पिछला वर्ष शून्य रूपए)।

(ख) कार्यालय परिसर, गेस्टहाउस और पारगमन शिविरों के संबंध में लीज भुगतान। 2.29 लाख रूपए (पिछले वर्ष: 1.84 लाख रुपये) (नोट-16 पर परियोजना व्यय और अन्य व्ययों सहित)।

ख. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां :शून्य रूपए (पिछला वर्ष : शून्य रूपए)।

26. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहनीय लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया है। तदनुसार, शून्य रूपए की हानि (पिछले वर्ष शून्य रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है।

27. कर्मचारी लाभों पर इंड एएस - 19 के अंतर्गतग प्रकटन

इरकॉन डीएचएचएल में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन मानक -19 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों (नोट सं.2, बिंदु सं (xii) के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

28. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन *

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए हजार में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	**रेलवे**	**राजमार्ग**	**इलैक्ट्रिकल**	**भवन**	**अन्य**	**कुल**
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	312,70.32	-	-	-	-
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	312,70.32	**-**	**-**	**-**	**-**
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	312,70.32	-	-	-	-

आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**312,70.32**	**-**	-	-	**-**
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	312,70.32	-	-	-	-
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**312,70.32**	-	-	-	-

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	**रेलवे**	**राजमार्ग**	**इलैक्ट्रिकल**	**भवन**	**अन्य**	**कुल**
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	245.67	-	-	-	-
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	245.67	**-**	**-**	**-**	**-**
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	245.67	-	-	-	-
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	245.67	-	-	-	**-**
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	245.67	-	-	-	-
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	245.67	-	-	-	-

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 31270.32 लाख रूपए है।

(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए हजार में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 5.1)	100,99.60	
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 3.1)	134,25.91	245.67
संविदा दायित्व (नोट 11.1)	6.03	240.01

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए लाख में में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	245.67	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	134,25.91	245.67

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए हजार में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	240.01	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	6.03	240.01

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए हजार में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	-	-
ग्राहाकों से देय राशि	-	-

(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	842,58.87	*

*इंड एएस-15 में अंतरण प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 को असंतुष्ट निष्पादन दायित्व आंशिक के अंतरण आवंटित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है।

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को असंतुष्ट संविदा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए लाख में)

		31 मार्च, 2019**
एक वर्ष या कम		724,88.87
एक वर्ष से दो वर्ष तक		117.70
दो वर्ष से अधिक		-
कुल		842,58.87

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमित है।

(छ) कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल 2018 से इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' लागू किया था और इसके लिए अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया था। इस मानक के प्रयोग से पूर्व अवधियों में स्वीकृति राशियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

30. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -**

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु**
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:		-
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि • उपर्युक्त पर ब्याज	0.10	-
(ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।		
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;		
(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।		

31. **मानक जारी किए गए किन्तु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रभावी नहीं**

इंड एएस 116 पट्टा: दिनांक 30 मार्च 2019 को निगमित कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 116 पट्टा को अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 इंड एएस 17 को प्रतिस्थापित करेगा और इसकी प्रस्तावित तिथि से संबंधित व्याख्यान 01 अप्रैल 2019 को या उसके पश्चात आरिंभ होने वाली वार्षिक अवधि होगी। यह मानक पट्टे के मान्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटनों के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इंड एएस 116 में अपेक्षित है कि पट्टेदारों को चिह्नित किया जाए और एकल पट्टाकार लेखांकन मॉडल को आरंभ किया जाए जिसकी अवधि 12 महीने से अधिक होनी चाहिए बशर्ते निर्धारित परिसंपत्ति निम्न लागत की हो। इस मानक में पट्टेदारों के लिए संवर्धित प्रकटन अपेक्षाएं भी शामिल हैं। पट्टादाता के रूप में कंपनी के लिए अपनी तुलन पत्र में पट्टे पर परिसिंपत्यिों और संबंधित देयता के लिए लेखांकन करना अपेक्षित है।

31. कतिपय पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनवर्गीकृत कियागया है। इन पुनर्वर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष को आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
कृते एसएसआरए एंड कंपनी	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
सनदी लेखाकार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
एफआरएल- 014266एन	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सुरेश गोयल	**(नगनगौडा पाटिल)**	**(कृतिका गुप्ता)**	**(पूजा रस्तोगी)**
साझेदार	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**
सं.सं: 093711			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.05.2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.06.2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है औरयह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो में संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।	**दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां पर प्रबंधन का उत्तर**
लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ	
(1) लाभ और हानि का विवरण (i) कर पूर्व लाभ नोट-15-अन्य आय : 326.43 लाख रुपये उपर्युक्त राशि निर्माण अवधि के दौरान एस्क्रो खाते और जुटाए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज को प्रदर्शित करती है, जिसे अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में जमा किया जाना चाहिए था। इससे 326.43 लाख रुपये के करपूर्व लाभ का ओवरस्टेट्स हुआ है और कुल स्तर तक अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का भी आवरस्टेटमेंट हुआ है।	रियायत समझौते के अनुसार, आईडीएचएचएल को यह संविदा 1177 करोड़ रुपये की निर्धारित मूल्य पर प्रदान किया गया था। एस्क्रो खाते पर ब्याज ही आईडीएचएचएल की आय है, जो एनएचएआई को देय नहीं है और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित होती है। समझौते के अनुसर, एनएचएआई से प्राप्त मोबिलिटी अग्रिम पर देय ब्याज और मोबिलाइजेशन अग्रिम पर इरकॉन से प्राप्त ब्याज को उचित रूप से कंपनी के वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है और इसे व्यय/लाभ व हानि खाते में आय के रूप में दिखाया गया है। वित्तीय परिसंपत्ति एनएचएआई से वसूलीयोग्य राशि को प्रदर्शित करती है अर्थात बीपीसी का 60% पूर्वनिर्धारित वार्षिकी में है जो इरकॉन से प्राप्त मोबिलिटी अग्रिम पर ब्याज घटाकर कम नहीं किया जा सकता है। चूंकि, एनएचएआई और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड दोनों के साथ समझौते अलग-अलग हैं और इसके अतिरिक्त, काई भी व्यक्त संविदात्मक खंड के अभाव में इसका निर्माण नहीं ले सकता है इसलिए एस्क्रो खाते पर अर्जित ब्याज और जुटाना अग्रिम वित्तीय

	परिसंपत्तियों के खिलाफ निर्धारित किया जाना चाहिए। एनएचएआई के साथ समझौते में कोई विशेष खंड शामिल नहीं है, इसलिए निधि खाते पर अर्जित कोई भी ब्याज केवल आईडीएचएचएल की आय होगी। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बोली के समय इरकॉन से प्राप्त होने वाली अग्रिम ब्याज को परियोजना लागत से घटाया नहीं गया था। चूंकि राजस्व तय किया गया है और एनएचएआई 1177 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और अर्जित ब्याज 1177 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए, प्राप्त ब्याज आईडीएचएचएल की आय होगी।
रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियां	
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान- 405.27 लाख (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा वहन 405.27 लाख रुपये के ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों को निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह विवारण में वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत प्रकट नहीं किया गया है जो इंड एएस-7 का उल्लंघन है।	आईडीडीएचएल ने एनएचएआई के साथ परियोजना हाइब्रिड वार्षिकी आधार के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है, जो कंपनी द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाएगा और प्राधिकरण से वसूलीयोग्य है। कंपनी द्वारा परियोजना को संचालित करने के लिए उधार दिया गया है जो कंपनी की प्रचालन गतिविधि है और तदनुसार इस राशि पर देय ब्याज को प्रचालन गतिविधि के तहत वर्गीकृत किया गया है।
(ii) 13180.24 लाख रुपये के गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत प्रकटन के स्थान पर कार्यशील पूंजी समायोजन में प्रकट किया गया है।	परिसंपत्तियां जो कि पूंजीगत संवर्धन, ब्याज, लाभांश आदि के संदर्भ में भविष्य की आय अर्जित करने के लिए है, को निवेश गतिविधि के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, रियायत समझौते के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति एनएचएआई से प्राप्य राशि को प्रकट करती है ।

	गैर-चालू वित्तीय संपत्ति इसकी प्रचालन गतिविधि से उत्पन्न होती है और हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के अनुसार कार्यशील पूंजी का हिस्सा होती है। इसलिए, यह कार्यशील पूंजी परिवर्तन का हिस्सा है और तदनुसार इसे वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य

कृते एवं की ओर से
निदेशक

ह/-
(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डिन-07018776